कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड – 03, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)
Email ID – cglc2012@gmail.com, Phone- 0771-2443516/14

नवा रायपुर, दिनांक 23/02/2024

//आदेश//

क्रमांक – 29/सी0भ0/स्था0/श्र0आ0/ 82 /2023 छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर के माध्यम से श्रम विभाग के अंतर्गत श्रम निरीक्षक (कार्यपालिक) के पद हेतु आयोजित परीक्षा 2023 में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को श्रमायुक्त संगठन के अंतर्गत श्रम निरीक्षक (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी के पद पर **वेतन मैट्रिक्स लेवल–7 (वेतन बैंड 5200–20200 + ग्रेड पे– 2800)** में अनंतिम (PROVISIONAL) रूप से बिन्दु क्रमांक (01) से (11) मे उल्लेखित शर्तों के अधीन 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाकर श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर के अंतर्गत निम्नानुसार अभ्यर्थियों को आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता हैं :–

क्र0	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम	जन्मतिथि	संवर्ग	चयनित संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम
1	श्री प्रियांश तिवारी, पिता श्री राज किशोर तिवारी	17.06.1995	सामान्य	सामान्य (दिव्यांग HH)	छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल कार्यालय श्रमायुक्त, नवा रायपुर, अटल नगर
2	श्री संदीप देवांगन, पिता श्री ज्ञानचंद	12.07.1995	अन्य पिछड़ा वर्ग (NON CREAMY LAYER)	सामान्य	कार्यालय श्रम पदाधिकारी, जिला – सक्ती
3	श्री नरेन्द्र कुमार, पिता श्री संतोष कुमार	29.03.1997	अन्य पिछड़ा वर्ग (NON CREAMY LAYER)	सामान्य	कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला – बलरामपुर
4	श्री सुशांत तिवारी, पिता श्री दिलीप कुमार तिवारी	18.01.1994	सामान्य	सामान्य	कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला– सारंगढ़–बिलाईगढ़
5	श्री टीका राम, पिता श्री राम प्रसाद	01.08.1992	अन्य पिछड़ा वर्ग (NON CREAMY LAYER)	सामान्य	कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर
6	श्री उमेश कुमार, पिता श्री पुन्नी लाल	19.12.1992	अ.जा.	अनुसूचित जाति	कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला– जशपुर
7	श्री राहुल यादव, पिता श्री अशोक कुमार यादव	30.06.1994	अन्य पिछड़ा वर्ग (NON CREAMY LAYER)	अन्य पिछड़ा वर्ग (NON CREAMY LAYER)	कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला– गौरेला– पेंड्रा–मरवाही
8	श्री अविनाश वर्मा, पिता श्री द्वारिका प्रसाद वर्मा	05.12.1987	अन्य पिछड़ा वर्ग (NON CREAMY LAYER)	अन्य पिछड़ा वर्ग (NON CREAMY LAYER)	कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला–मोहला–मानपुर–अंबागढ़चौकी
9	श्री लोकेन्द्र कुमार वैष्णव, पिता श्री महेन्द्र वैष्णव	28.05.1994	अन्य पिछड़ा वर्ग (NON CREAMY LAYER)	अन्य पिछड़ा वर्ग (NON CREAMY LAYER)	कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई

क्रमशः..........02

10	सुश्री शशिकला साहू, पिता श्री प्रफूल्ल साहू	17.09.1995	अन्य पिछड़ा वर्ग (NON CREAMY LAYER)	सामान्य(म.)	कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला– बलौदाबाजार – भाटापारा
11	श्री कृष्णकांत बलेन्द्र, पिता श्री ओंकार सिंग	05.07.1995	अ.ज.जा.	अनुसूचित जनजाति	कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला–नारायणपुर
12	श्री ओमप्रकाश नागेश, पिता श्री माखन सिंग नागेश	07.01.1990	अ.ज.जा.	अनुसूचित जनजाति	छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल कार्यालय श्रमायुक्त, नवा रायपुर, अटल नगर
13	श्री पारस कुमार दर्रो, पिता श्री मानसिंह दर्रो	13.11.1994	अ.ज.जा.	अनुसूचित जनजाति	कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला–दंतेवाड़ा
14	सुश्री सोनाली पन्ना, पिता श्री विलियम पन्ना	24.08.1994	अ.ज.जा.	अनुसूचित जनजाति(म.)	कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला– अंबिकापुर (सरगुजा)

शर्ते :–

1) जिन श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति नवगठित जिला क्रमशः सारंगढ़–बिलाईगढ़, खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई, मोहला–मानपुर–अंबागढ़चौकी, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर एवं सक्ती में हुई हैं, उन श्रम निरीक्षकों के वेतन का आहरण एवं कार्य की सतत् निगरानी एवं समीक्षा आगामी आदेश तक नवगठित जिले के गठन के पूर्व के जिले कमशः रायगढ़, राजनांदगांव, कोरिया एवं जांजगीर–चांपा जिले में स्थित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालयों से किया जावेगा तथा वे अपना कार्यभार ग्रहण नवगठित जिलो के जिला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर करेंगे, साथ ही कार्यभार ग्रहण करने की सूचना नवगठित जिले के गठन के पूर्व के जिले के जिला श्रम कार्यालय एवं श्रमायुक्त कार्यालय को अनिवार्य रूप से देंगे।

2) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक – एफ 13–4/2006/आ0प्र0/1–3, दिनांक 29.06.2013 की कंडिका–6(1) एवं (2) में विहित प्रावधान के अनुसार निर्धारित प्रारूप (एक) में शपथ–पत्र अपने उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा।**(शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न)**

3) अस्थाई नियुक्ति के दौरान उनकी सेवाएं किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति के दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी हैं तथा उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और उन्हें 01 माह की अवधि में जितनी अवधि कम हो उस अवधि के वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।

4) सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी कराना होगा। यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिये अनुपयुक्त पाए जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि उनका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जायेगा तो उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी।

5) शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त कर्मचारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत शासित होंगे।

क्रमशः..........03

6) उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड/जिला मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण–पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती हैं। अतः अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड/जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण–पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाए जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

7) अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण–पत्र गलत पाए जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

8) **आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)** के जिन उम्मीदवारों ने अपने **जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति,(संबंधित जिला)** से सत्यापित कराकर प्रस्तुत नहीं किये हैं, ऐसे उम्मीदवारों की यह नियुक्ति अनंतिम(PROVISIONAL)है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किए जाने के अध्यधीन है, और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसा भी मामला हो, दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती हैं, संबंधी कार्रवाई के अतिरिक्त संबंधित की सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी। संबंधित उम्मीदवारों के इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 06 माह की समयावधि में अपने जाति प्रमाण–पत्र का सत्यापन कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9) परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाये जाने पर ही नियमित नियुक्ति करने पर विचार किया जायेगा।

10) उपरोक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) कमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

11) अभ्यर्थी, उपरोक्तानुसार सेवा नियुक्ति हेतु सहमत होने की दशा में आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर तक निर्धारित पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा, जिसके लिए पृथक से कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(अलरमेलमंगई डी.)
श्रमायुक्त
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

क्रमशः.........04

पृष्ठ क्रमांक – 29/सी0भ0/स्था0/श्र0आ0/2023/1313, नवा रायपुर, दिनांक 23 FEB 2024

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, श्रम, श्रम विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ0ग0)।
2. सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर (छ0ग0)
4. कलेक्टर, जिला – ....को सूचनार्थ प्रेषित।
5. संबंधित पुलिस अधीक्षक ....को सूचनार्थ प्रेषित।
6. संबंधित सिविल सर्जन, ...को सूचनार्थ प्रेषित।
7. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय...।
8. कार्यालय सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी जिला – .... की ओर सूचनार्थ।
9. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
10. संबंधित श्री .... को सूचनार्थ अग्रेषित कर लेख है कि वे कार्यभार ग्रहण करते समय अपने शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्रों सहित अपनी उपस्थिति कार्यालय को देवें।
11. आदेश पत्रिका में संकलनार्थ।

श्रमायुक्त

छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

प्रारूप (एक)

आरक्षित पद अथवा सीट पर नियुक्त/प्रवेशित/निर्वाचित/नामांकित/मनोनित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत

शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... आ0 .... उम्र ...... वर्ष ...... व्यवसाय .... निवासी .... तहसील .... जिला .... राज्य .... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :

(1) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद/सीट/ लाभ/सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है/था।

(2) मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/नामांकन/मनोनयन आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन प्रदान की गई है।

(3) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को होने के संबंध में ....(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(4) मेरे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र विहित रीति से तथा विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।

(5) कदाचित उपर्युक्त जाति प्रमाण पत्र/सत्यापन प्रमाण-पत्र के गलत अथवा कपट पूर्वक प्राप्त करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तथा उक्त के आधार पर अथवा स्वप्रेरण से सामाजिक प्रास्थिति जिला स्तरीय सत्यापन समिति मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में कोई जाँच करती है अथवा गहन जाँच हेतु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को संदर्भित करती है तथा उक्त समिति या समितियों के द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में की गई जाँच एवं पारित निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में किया गया दावा तथा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है तो बिना किसी अपवाद के आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा, यथास्थिति अनावेदक (संबंधित लोक नियोजक/शैक्षणिक संस्था/संवैधानिक निकाय/राज्य शासन/केन्द्र शासन का नाम) ....

.... द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त/समाप्त/अपवर्जित किया जा सकेगा तथा मैं उक्त नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा आदि के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु दायित्वाधीन होऊँगा तथा उक्त राशि मुझसे भू राजस्व के बकाया की भाँति वसूली जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मेरे विरूद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी

हस्ताक्षर ....

सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ....
आत्मज/आत्मजा .... सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कण्डिका 1 से 5 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता हूँ

हस्ताक्षर ....